सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00068

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 19/2020

1. पुष्पा पुत्री श्री मनफुलराम पत्नी श्री दिवानचन्द जाति मेघवाल उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 09, कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. धराई बाई पत्नी श्री जुम्माराम जाति मेघवाल निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट इन्तकाल संख्या 889 स्वीकृत दिनांक 30.01.2020

उपस्थित :
1.श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: दिनांक :- 20.08.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 45/35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 25 और मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 , 9,10,11,12 कुल 12 बीघा कृषि भूमि धराई बाई बेवा जुम्माराम , मनफूल, पूर्णराम, भौजूराम ,नत्थूराम पिसरान जुम्माराम, ककड़ी बाई दु. जुम्माराम जातियान मेघवाल निवासीयान कालिया तहसील श्रीगंगानगर के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी थी। मुनफूलराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा की कृषि भूमि चक 3 जी बडी मुरब्बा नं. 27 व 28 के संयुक्त खाते में से 0.502 हैक्टयर कुल 2 बीघा कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 27.09.2018 को अपीलांटा के हक में करवा दी व उपपंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर पंजीबद्व करवा दी और अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा की कृषि भूमि व समस्त चल व अचल सम्पति अपीलांट के हक में वसीयत करवा दी। दिनांक 24.11.018 को मनफूल राम का देहान्त हो गया। मनफूलराम के देहान्त के बाद अपीलांटा द्वारा वसीयत के अनुसार मनफुल राम के हिस्सा की भूमि का इंतकाल वसीयत के आधार पर अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार श्रीगंगानगर को दिनांक 06.08.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया तहसीलदार द्वारा एल.आर. को दिनांक 06.08.2019 को प्रार्थना पत्र मार्क किया जिसमें अभी तक कार्यवाही चल रही थी इसी बीच रेस्पोडेन्ट धराई बाई द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर को मनफूल राम के हिस्सा की भूमि का इंतकाल अपने नाम से करवाने हेतु दिनांक 24.01.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया इस प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 30.01.2020 को रेस्पोडेन्ट धराई

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बाई के नाम से मनफूलराम के हिस्सा की 502/3011 रकबा का इंतकाल स्वीकृत कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये और बिना कानूनी प्रकिया अपनाये अपीलकृत इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से कर दिया। अपीलांटा द्वारा अपने नाम से इंतकाल करवाने के लिए पेश किये गये प्रार्थना पत्र की पुछताछ करने के लिए दिनांक 05.06.2020 को पटवारी हल्का के पास गयी तो पटवारी हल्का ने रिकॉर्ड देखकर बताया कि मनफुलराम के रकबा का इंतकाल दिनांक 30.01.2020 को धराई बाई पत्नी जुम्मा राम के नाम से हो चुका है और इसके बाद धराई बाई ने इस रकबा की दस्तबरदारी अक्षय कुमार पुत्र श्री नत्थूराम के नाम कर दी और उसका भी इंतकाल दिनांक 04.05.2020 को अक्षय कुमार के नाम से इंतकाल संख्या 895 दिनांक 04.03.2020 हो चुका है जिस पर अपीलांटा द्वारा इंतकाल की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांटा को ज्ञात होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 889 दिनांक 28.01.2020 व स्वीकृत दिनांक 30.01.2020 को निरस्त फरमाया जावें और मुझ अपीलांटा के नाम से वसीयत 27.09.2018 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 45/35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 25 और मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 ता 9,10,11,12 कुल 12 बीघा कृषि भूमि धराई बाई बेवा जुम्माराम , मनफूल, पूर्णराम, भौजूराम ,नत्थूराम पिसरान जुम्माराम, ककड़ी बाई दु. जुम्माराम जातियान मेघवाल निवासीयान कालिया तहसील श्रीगंगानगर के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी थी जिसका इन्तकाल संख्या 889 तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांटा को बिना सुने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 धराई बाई के नाम दर्ज कर कानूनी भूल की है। मुनफूलराम ने अपने जीवनकाल अपनी भतीजी पुष्पा (अपीलांटा) जो उसके पास रहकर उसकी सेवा करती थी के नाम से अपने हिस्सा की कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 27.09.2018 को अपीलांटा के हक में करवा दी व उपपंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर पंजीबद्व करवा दी। अपीलांटा पुष्पा का जब स्कूल में एडमिशन करवाया उसमें पिता के रूप में नाम मनफूलराम वसीयतकर्ता का ही है। मनफूलराम की मृत्यु के बाद एक प्रार्थना पत्र 06.08.2019 को वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का पेश किया जो आज दिनांक तक तहसील कार्यालय में पेंडिग है जबकि रेस्पोडेन्ट धराईबाई द्वारा 24.01.2020 को मनफूल राम की कृषि भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पेश किया जिसका इन्तकाल दर्ज कर दिनांक 30.01.2020 को इन्तकाल संख्या 889 स्वीकृत कर दिया गया जबकि मनफूलराम वसीयतकर्ता द्वारा अपीलांटा पुष्पा देवी के नाम रजि0 वसीयत करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 धराईबाई वारिस ही नहीं रही इसलिए मेरे नाम से इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिए था। वसीयत को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया गया है। वसीयत स्टेण्ड होने के कारण मेरा हक बनता था और मेरे को ही सुना नहीं गया। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 889 स्वीकृत दिनांक 30.01.2020 खारिज फरमाया जावें एवं मेरे नाम से इन्तकाल दर्ज किया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वसीयत में मुरब्बा नम्बर 28 की जगह 25 अंकित हो गया है जो लिपिक भूल है।

अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निम्न नजीर पेश की गई :–

1. आर.आर.डी. 2016 पेज–14 से 23
2. ए.आई.आर 2017 पेज–23 से 44
3. Mulla Principles of Hindu Law Sec.223 ANCEstra Proprty Page -246

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित 12.05 बीघा रकबा जुग्माराम पुत्र हजारी राम को आवटन हुआ था जिसके मरने के बाद उसके वारिस निम्नानुसार है:–

1. धराई बाई पत्नी
2. मनफूल राम पुत्र
3. पूर्णराम पुत्र
4. नत्थूराम पुत्र
5. वेदप्रकाश पुत्र
6. काकडीदेवी पुत्री

मनफूलराम की पत्नी जमनादेवी थी इसके अलावा उसका कोई वारिस नहीं था। मनफूलराम की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी माता धराई बाई ही रह जाती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत माता अपने पुत्र की सम्पति में बराबर की हकदार है। धराई बाई के प्रार्थना पत्र पर ही इन्तकाल संख्या 889 दिनांक 30.01.2020 दर्ज किया गया है। अपीलांटा पुष्पादेवी के नाम से की गई वसीयत उक्त भूमि से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि उक्त भूमि चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 45/35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 25 और मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1,9,10,11,12 कुल 12 बीघा है जबकि वसीयत मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17,18,19,20,23,24,25 कुल 7 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1,9,10,11,12 कुल 5 बीघा की गई है। वसीयत उक्त विवादित भूमि की नहीं होने के कारण स्वतः ही निरस्त योग्य है। अपीलांटा पुष्पा मृत्क मनफूलराम के भाई नत्थूराम की बेटी है। नत्थूराम की भूमि में अपीलांटा पुष्पादेवी का नाम दर्ज है। अपीलांटा नत्थूराम की बेटी होने के कारण अपील पेश ही नहीं कर सकती। मनफूल राम को उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है क्योंकि उक्त विवादित भूमि मनफूलराम के पिता जुम्माराम पुत्र हजारीराम को आवंटित हुई थी जिसमें उसको हिस्सा अनुसार 2. 00 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। उक्त विवादित भूमि जिसकी वसीयत मनफुलराम द्वारा की गई है वह उसकी स्वयं अर्जित भूमि नहीं है जिस कारण मनफूल राम उक्त भूमि की वसीयत करने का हकदार नहीं है। मनफूलराम के हिस्सा की भूमि की प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी माता होने के कारण अपीलांटा को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलांटा फर्जी मनफूलराम की बेटी बनकर यह जमीन हड़पना चाहती है जिसे अपील करने का हक नहीं है। अतः अपील अपीलार्थिया कोस्ट पर खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निम्न नजीर पेश की गई :–

1. आर.आर.टी. 2009 (1) पेज–381 से 383
2. आर.आर.टी. 2003 (2) पेज–1212 से 1215

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

3. आर.आर.टी. 2003 (1) पेज– 650 से 652
4. आर.आर.टी. 2009 (1) पेज– 376 से 381
5. डी.एन.जे. 2007 (3) पेज–1544 से 1548
6. डी.एन.जे.(Rev)2014 पेज– 327 से 332
7. आर.आर.टी. 2017(2) पेज–1355 से 1358
8. आर.आर.टी. 2018(2) पेज–1344 से 1347
9. आर.आर.टी. 2008(1) पेज– 131 से 135
10. उतराधिकार विधि पेज–66

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार अपीलांटा नत्थूराम जो कि मनफूलराम का भाई है की बेटी है। मनफूलराम द्वारा अपीलांटा पुष्पादेवी को किसी प्रकार से गोद नहीं लिया गया है। अतः वह मनफूलराम की पुत्री नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की हकदार नहीं है। मनफूलराम की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी माता धराई बाई ही रह जाती है जो कि एकेली वारिस है क्योंकि मनफूलराम की पत्नी का पूर्व में देहान्त हो चुका है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत माता अपने पुत्र की सम्पति में बराबर की हकदार है। मनफूलराम द्वारा की गई वसीयत विवादित भूमि चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 45/35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 25 और मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1,9,10,11,12 कुल 12 बीघा है की ना होकर मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17,18,19,20,23,24,25 कुल 7 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1,9,10,11,12 कुल 5 बीघा की है ऐसी दशा में वसीयत सन्देहस्पद है। चूंकि नामान्तरण कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है जिससे किसी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांटा वसीयत के आधार पर यदि वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहती है तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलान्ट को अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/2020

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।